

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

District: STATE VIG BUREAU

P.S.: SVB AMBALA

Year: 2014

FIR No.: 4

Date: 20-06-2014

Act(s):

(i) IPC 1860

(ii) HUDA ACT 1975

(iii)

(iv)

Section(s):

218

7

Occurrence of Offence:

(a) Day: Saturday

Time Period:

Date From: 01-01-2011

Date To: 01-01-2012

Time From:

Time To:

(b) Information received at P.S:

Date: 20-06-2014

Time: 13:30 hrs

(c) General Diary Reference:

Entry No.: 6

Time: 13:30 hrs

Type of Information: WRITTEN

Place of Occurrence:

(a) Direction and Distance from P.S: South/100.0 Km.

(b) Address: MUNICIPAL COMMITY KALAYAT DISTT KAITHAL, KAITHAL

(c) In case, Outside the limit of the Police Station:

Name of P.S:

Beat No.:

Complainant/Informant:

District:

(a) Name: INSP TEJENDER KUMAR

(b) Birth Year:

Nationality: INDIA

SEEN

(c) Passport No.

Date of Issue:

Place of Issue:

DIG/SVE(H) PKL

(d) Occupation:

(e) Address: PS SVB AMBALA

Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary): (15)
(SEE ANNEXURE FOR ACCUSED DETAILS):



Reason for delay in reporting by the complainant/informant: NO DELAY

Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

Total value of property stolen:

Inquest Report/U.D Case No., if any:

- Reg. No. 2 6
- Reg. No. 4
- Reg. No. 6
- Reg. No. 9-III
- Reg. No. 9-II
- Reg. No. 11
- Reg. No. 12
- Reg. No. 19
- Reg. No. 21
- Reg. No. 23

F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

सेवा में प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला श्री मान जी, निवेदन है कि जाच क्रमांक 2 दिनांक 15.03.2012/ कैथल मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के कार्यालय के यादी क्रमांक 54/4/2011-1चौ० (II) दिनांक 07.03.2012 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांक 3200/I-3/एस०वी०बी० (H) पंचकुला दिनांक 15.03.2012 के अनुसार आसुचना रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप था कि श्री रमन कुमार तत्कालीन सचिव नगर पालिका कलायत द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ प्रोपटी डीलरो से मिली भगत करके उपायुक्त कैथल व जिला नगर योजनाकार द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद जिला नगर योजनाकार से एन०ओ०सी० प्राप्त किये बिना अवैध कालोनियो में रिशवत लेकर भवनो के नक्शे पास करके हरियाणा शहरी विकास रेगुलेशन अधिनियम की उल्लंघना करके अपने पद का दुरुपयोग किया गया। आरोप के पडताल से पाया गया कि दिनांक 28.2.2011 को भवन नक्शे हाऊस की मिटिंग के दौरान पास किये गये प्रस्ताव के क्रम संख्या 20 पर अनील कुमार क्रम संख्या 38 पर इन्द्रा देवी व क्रम संख्या 39 पर अर्जुन दास के भवनो के नक्शे जो लाल डोरा के अन्दर के थे के ईलावा सभी 48 भवन नक्शे बिलिडिंग इन्सपेक्टर श्री सरफराज खान की Objectionable रिपोर्टों के बावजूद तत्कालीन सचिव श्री रमन किशोर व तत्कालीन प्रधान श्री जानी राम द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन करके हाऊस द्वारा पास करवाये गये और तत्कालीन बिलिडिंग इन्सपेक्टर श्री सरफराज खान पर उस द्वारा की गई Objectionable रिपोर्टों को श्री रमन किशोर तत्कालीन सचिव नगर पालिका कलायत द्वारा काट कर दोबारा अपनी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट लिखने के लिए दबाव डाला गया तथा सरफराज खान की कई-कई महीनो तक सैलरी रोक कर रखी गई। जिसको फरवरी व मार्च की सैलरी जून में अप्रैल व मई की सैलरी जुलाई में जून व जुलाई की सैलरी अगस्त में अगस्त व सितम्बर की सैलरी अक्तूबर तथा अक्तूबर की सैलरी नवम्बर में दी गई जबकि बाकि सभी कर्मचारियों की सैलरी हर महीने दी जाती रही और बिलिडिंग इन्सपेक्टर श्री सरफराज खान को तभी सैलरी दी गई जब उसने तत्कालीन सचिव श्री रमन किशोर व तत्कालीन प्रधान श्री जानी राम के दबाव में आकर उनके मन माफिक दोबारा रिपोर्ट लिखी लेकिन दोबारा रिपोर्ट लिखे जाने का वे कोई फायदा नहीं उठा सके क्योंकि श्री सरफराज खान द्वारा दोबारा लिखी गई रिपोर्टों के निचे 25.08.2011 तारिख लिख दी गई जबकि भवन नक्शों का प्रस्ताव दिनांक 28.02.2011 को पास किया जा चुका था। सरफराज खान द्वारा पहले से लिखी गई रिपोर्टों को काटने के लिए व दोबारा अपनी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट लिखवाने के लिए सीधे तौर पर श्री रमन किशोर तत्कालीन सचिव नगर पालिका कलायत जिम्मेवार है जबकि नियमों के अनुसार सचिव नगर पालिका की यह ड्युटी है कि वह हाऊस की मिटिंग में उन्ही नक्शों का प्रस्ताव पेश करे जो नियमों के मुताबिक पास किये जाने योग्य हो। अगर हाऊस द्वारा कोई गलत नक्शा पास कर दिया जाता है तो सचिव उक्त गलत नक्शा को कैंसल करवाने के लिए उपायुक्त को पत्र लिखकर भेजे लेकिन श्री रमन किशोर तत्कालीन सचिव द्वारा ऐसा करने की बजाए तत्कालीन नगर पालिका प्रधान श्री जानी राम के कई अनुसार उल्टा श्री सरफराज खान तत्कालीन बिलिडिंग इन्सपेक्टर पर नजायज दबाव डालने के लिए कई-कई महीनो तक उसे सैलरी नहीं दी। ऐसा करके श्री जानी राम तत्कालीन प्रधान व श्री रमन किशोर तत्कालीन सचिव नगर पालिका कलायत द्वारा अपने चहतो को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों के विरुद्ध उनके भवन नक्शे हाऊस की मिटिंग में पास करवाकर अपने-अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को अवैध निर्माण विकसित करने का मौका दिया। इस कार्य के लिए नगर पालिका सचिव व प्रधान के ईलावा सर्व श्री जयदीप राणा, सीमा देवी, शीशो देवी, ममता रानी, सरोज देवी, दशरथ राणा, श्याम सिंह राणा, राजेश कुमार, रमेश चन्द, पुजा देवी, छब्बील दास, धर्मबीर व गुलाब सिंह तत्कालीन पार्षद नगर पालिका कलायत भी जिम्मेवार हैं जिन द्वारा नियमों के विरुद्ध सहमति देकर प्रस्ताव पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। नगर पालिका अधिनियम में गलत भवन नक्शों को उपायुक्त द्वारा कैंसल किये जाने के ईलावा अन्य किसी कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। जिस बारे में उप जिला न्यायवादी राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला से राय ली गई। जिन्होंने अपनी राय में लिखा कि i have gone through the record of inquiry files. i am of the opinion that secretary as well as the president and other members of municipal committee of kalayat wrong fully passed the resolution of plans of unauthorised construction in municipal area, hence offence is made out u/s 218 IPC and Sec7 of H.U.D.A Act 1975 जिसकी रिपोर्ट पूर्ण महानिदेशक, राज्य चौकसी हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 3733/ रा०चौ०ब्यूरो(ह) दिनांक 13.3.2014 अनुसार सरकार को भेजी गई थी। जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के प० क्रमांक 52/4/2011-1 चौकसी-II दिनांक 26.5.2014 अनुसार महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा

पंचकुला के पृ० पत्र क्रमांक 6982/आई-5/रा०चौ०ब्युरो(ह) दिनांक 29.5.2014 द्वारा प्रांतेवादी श्री जानी राम तत्कालीन प्रधान नगर पालिका कलायत श्री रमन किशोर तत्कालीन सचिव नगर पालिका कलायत सर्व श्री जयदीप राणा, सीमा देवी, शीशो देवी, ममता रानी, सरोज देवी, दशरथ राणा, श्याम सिंह राणा, राजेश कुमार, रमेश चन्द, पुजा देवी, छब्बील दास, धर्मबीर व गुलाब सिंह तत्कालीन पार्षद नगर पालिका कलायत के विरुद्ध मुकदमा धारा 218 भा०द०स० व हुड्डा एक्ट 1975 की धारा 7 के तहत दर्ज करवाने तथा तफ्तीश के समय किसी अन्य व्यक्ति की मिलीभगत पाई जावे तो उसे भी देख लिये जाने के आदेश प्राप्त हुये है। जो पुलिस अधिक्षक राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला मण्डल अम्बाला के डायरी क्रमांक 935 दिनांक 30.5.2014 अनुसार तहरीर तैयार करने हेतु प्राप्त हुई है। जो तहरीर हजा भेजकर अनुरोध है कि प्रांतेवादी श्री जानी राम तत्कालीन प्रधान नगर पालिका कलायत, श्री रमन किशोर तत्कालीन सचिव नगर पालिका कलायत सर्व श्री जयदीप राणा, सीमा देवी, शीशो देवी, ममता रानी, सरोज देवी, दशरथ राणा, श्याम सिंह राणा, राजेश कुमार, रमेश चन्द, पुजा देवी, छब्बील दास, धर्मबीर व गुलाब सिंह तत्कालीन पार्षद नगर पालिका कलायत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल व प्रथम सुचना रिपोर्ट की अन्य प्रतिया उच्च अधिकारी गण की सेवा मे भेजी जावे। जांच व मुकदमा हजा से सम्बन्धित रिकार्ड तफ्तीशी अधिकारी के हवाले किया जावे। SD - तजेन्द कुमार निरीक्षक राज्य चौकसी ब्युरो (ह) अम्बाला मण्डल अम्बाला। उक्त तहरीर तैयार करके वैट करवाने के लिये पत्र क्रमांक 1733/SVB/AMB/ DATED 02.06.2014 द्वारा अनुमोदानर्थ हेतु महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला को भेजी गई थी। जो महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 8059/I-5/SVB(H) dated Panchkula the 17.6.2014 व कार्यालय पुलिस अधिक्षक राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला के डायरी क्रमांक 1086 दिनांक 20.6.14 अनुसार निरीक्षक तजेन्द कुमार को तफ्तीश करने के आदेश के साथ तहरीर प्राप्त हुई है। उपरोक्त तहरीर पर मुकदमा नम्बर 4 धारा 218 भा०द०स० व हुड्डा एक्ट 1975 की धारा 7 दिनांक 20.06.2014 दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पेशल रिपोर्ट बदस्त लिपाही जसमेर सिंह 826/jind के ईलाका मैजिस्ट्रेट कैथल व अन्य प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारियों की सेवा मे भिजवाई जा रही है। नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर व जांच से सम्बन्धित सभी फाईले निरीक्षक तजेन्द कुमार SVB AMBALA के हवाले की जायेगी। ईन्दाज रिकार्ड थाना विधि अनुसार किया गया।

Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

Registered the case and took up the investigation

OR

Directed(Name of the I.O): TEJINDER KUMAR No.: 00000043

Rank: INS to take up the investigation, OR


Refused investigation due to:

Transferred to P.S(name): on point of jurisdiction.

OR District:

FLR read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost.

R.D.A.C:



Signature / Thumb Impression of The Complainant/Informant:

Signature of Officer Name: RAJINDER KUMAR Rank: INS No.: 00000088

Rajinder Kumar

Date and Time of despatch to the court:

CIPA-R1.1101

Annexure - Accused (Known/Unknown) Details

District: STATE VIG BUREAU PS.: SVB AMBALA Year: 2014 FIR No.: 4 Date: 20-06-2014

1. SH GYANI RAM EX
CHAIRMAN MC
KALAYAT
R/O: NAGAR
PALIKA KALAYAT
DISTT KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Male

Birth

Occupation: Juris.
P.S.:

Year:

Nationality: INDIA

2. SH RAMAN
KISHOR EX
SECATARY MC
KALYAT
R/O: EX SECATARY
MC KALYAT DISTT
KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Male

Birth

Occupation: Juris.
P.S.:

Year:

Nationality: INDIA

3. SH JAIDEEP RANA
EX PARSAD MC
KALYAT
R/O: EX PARSAD
MC KALYAT DISTT
KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Male



Birth Occupation: Juris.
Year: P.S.:

Nationality: INDIA

4. SMT SEEMA DEVI EX
PARSAD MC KALYAT
R/O: EX PARSAD MC
KALYAT DISTT
KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Female

Birth Occupation: Juris.
Year: P.S.:

Nationality: INDIA

5. SMT SHISHO DEVI EX
PARSAD MC KALYAT
DISTT KAITHAL
R/O: EX PARSAD MC
KALYAT DISTT
KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Female

Birth Occupation: Juris.
Year: P.S.:

Nationality: INDIA

6. SMT MAMTA RANI EX
PARSAD MC KALYAT
DISTT KAITHAL
R/O: EX PARSAD MC
KALYAT DISTT
KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Female

Birth Occupation: Juris.
Year: P.S.:

Nationality: INDIA

7. SMT SAROJ DEVI EX
PARSAD MC KALYAT
DISTT KAITHAL



R/O: EX PARSAD MC
KALYAT DISTT
KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Female

Birth Occupation: Juris.
Year: P.S.:

Nationality: INDIA

8. SH DASRATH
RANA EX PARSAD
MC KALYAT DISTT
KAITHAL

R/O: EX PARSAD
MC KALYAT DISTT
KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Male

Birth

Occupation: Juris.
Year: P.S.:

Nationality: INDIA

9. SH SHYAM SINGH
RANA EX PARSAD
MC KALYAT DISTT
KAITHAL

R/O: EX PARSAD
MC KALYAT DISTT
KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Male

Birth

Occupation: Juris.
Year: P.S.:

Nationality: INDIA

10 SH RAJESH KUMAR
EX PARSAD MC
KALYAT DISTT
KAITHAL

R/O: EX PARSAD
MC KALYAT DISTT
KAITHAL



Sex: Telephone: Dist.:

Male

Birth

Year: Occupation: Juris. P.S.:

Nationality: INDIA

11 SH RAMESH

CHAND EX PARSAD

MC KALYAT DISTT

KAITHAL

R/O: EX PARSAD

MC KALYAT DISTT

KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Male

Birth

Year: Occupation: Juris. P.S.:

Nationality: INDIA

12 SMT POOJA DEVI EX

PARSAD MC KALYAT

DISTT KAITHAL

R/O: EX PARSAD MC

KALYAT DISTT

KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Female

Birth Occupation: Juris. P.S.:

Year:

Nationality: INDIA

13 SH CHHABIL DASS

EX PARSAD MC

KALYAT DISTT

KAITHAL

R/O: EX PARSAD

MC KALYAT DISTT

KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Male



Birth Occupation: Juris.
Year: P.S.:

Nationality: INDIA

14 SH DHARMBIR EX
PARSAD MC
KALYAT DISTT
KAITHAL
R/O: EX PARSAD
MC KALYAT DISTT
KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Male

Birth

Occupation: Juris.
Year: P.S.:

Nationality: INDIA

15 SH GULAB SINGH
EX PARSAD MC
KALYAT DISTT
KAITHAL
R/O: EX PARSAD
MC KALYAT DISTT
KAITHAL

Sex: Telephone: Dist.:

Male

Birth

Occupation: Juris.
Year: P.S.:

Nationality: INDIA

Signature of Duty Officer:

D.O. Name: RAJINDER KUMAR

Rank: INS

place: SVB AMBALA (STATE VIG BUREAU)



No.: 00000088

Date: 20-06-2014